

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

भारत



INDIA

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 668027

F 668027



विनिमय विलेख

मालियत 19,96,000/- रुपये

स्टाम्प 1,40,000/- रुपये

हम कि सत्यपाल पुत्र श्री रामदास निवासी ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष एवं मनीष कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन निवासी 19 साकेत न्यू सिविल लाइंस शहर व जिला मुरादाबाद बहैसियत मुख्तार आम मिनजानिब परवीन कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन निवासी 296 सी न्यू प्रेमपुरी मेरठ वर्तमान निवासी 19 साकेत न्यू सिविल लाइंस मुरादाबाद दिनांक 27-01-2016 बही नं० 4

सत्यपाल

M. Kain



अशोक कुमार अरोरा
कातिब
मुरादाबाद



अशोक कुमार अरोरा
कातिब
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 668029

F 668029



08 DEC 2017

3

का बहैसियत तन्हा मालिक काबिज व दखील है। और द्वितीय पक्ष निम्नलिखित विवरण सम्पत्ति सूची (ब) का खाता नं० 00233 खसरा नं० 484 का मिनजुमला रकबई 0.162 हैक्टेयर लागानी सालाना 3.65 रुपये स्थित ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का बहैसियत तन्हा मालिक काबिज व दखील है। हम पक्षगण को अपनी-अपनी

सत्यपाल

M. Saini





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 668030

F 668030



4

निम्नलिखित सम्पत्ति में हर इन्तकाल हाजा का हक हासिल है
विनिमय की जा रही निम्नलिखित सम्पत्तियां आज तक हर किस्म के
बार, मिस्ल, रहन, बय, हिबा, किफालत, कुर्की व नीलाम व लोन
सरकारी व गैर सरकारी वगैरा से कतई बरी व पाक साफ है जिसमें

सत्यपाल

M. S. S.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 139957

CA 139957



08 DEC 2017

5

पक्षगण के अलावा दीगर कोई शख्स या खानदानी किसी भी प्रकार से शरीक या हकदार नहीं है दोनों पक्ष एक दूसरे से लाभ हेतू सम्पत्ति से विनिमय के लिये तैयार हैं। लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हवास खमसा अपनी के खूब सोच व समझकर यह विनिमय विलेख लिखकर हम पक्षगण अपने और अपने विधिक वारिसानों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ आबद्ध करते हैं:-

1- यह कि प्रथमपक्ष अपनी निम्नलिखित विवरण सम्पत्ति सूची (अ) को द्वितीय पक्ष की निम्नलिखित विवरण सम्पत्ति सूची (ब) के बदले हस्तांतरित कर रहा है और द्वितीय पक्ष उसकी सम्पत्ति के आज की तिथि से प्रथम पक्ष के समान स्वामी व अधिकारी हो गये हैं।

महामाता

M/sail





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 139958

CA 139958



6

08 DEC 2017

यह कि द्वितीयपक्ष अपनी निम्नलिखित विवरण सम्पत्ति सूची (ब) को द्वितीय पक्ष की निम्नलिखित विवरण सम्पत्ति सूची (अ) के बदले हस्तांतरित कर रहा है और प्रथम पक्ष उसकी सम्पत्ति के आज की तिथि से द्वितीय पक्ष के समान स्वामी व अधिकारी हो गये हैं।

3- यह कि प्रत्येक पक्ष विनिमय की हुई सम्पत्ति पर बिना किसी रुकावट कब्जा करके शान्तिपूर्वक भोग करे व हस्तांतरित आदि करे।

4- यह कि प्रथम पक्ष का या उसके किसी वारिस का कुछ हक व ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी किस्म का निस्वत निम्नलिखित विवरण सूची (अ) या जरे समन उसके बाकी नहीं रहा और न ही आयन्दा कभी होगा। इसी प्रकार द्वितीय पक्ष का या उसके किसी

लक्ष्मी

Mkain.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 139959

CA 139959



08 DEC 2017

7

वारिस का कुछ हक व ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी किसम का निस्सत निम्नलिखित विवरण सूची (ब) या जर्रे समन उसके बाफ़ी नहीं रहा और न ही आयन्दा कभी होगा। चुनाचे तकाबिजुल बदलेन उसका बाहम प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष गजकूर के अमल में आ गया। जुमला जमाने दर्क इस्तहकाक उसका बजिम्में पक्षगण हैं अगर बाद को कोई शरीक या सहीम या कर्जखाह या औलाद पक्षगण या खानदानी पक्षगण या अन्य किसी पक्ष या शख्स की दावेदारी रो सूची (अ) व सूची (ब) की सम्पत्ति जुज या कुल भाग कब्जे पक्षगण या वारिसान या कायम मुकामान उनके से निकल जावे या बगरज ताहफफुज पक्षगण को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पड़े तो

सत्यपाल

M. Saini



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 125848

CA 125848



8

08 DEC 2017

उसी कदर जरे समन की वापसी के प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को व
द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व
गैर मनकूला हर किस्म अपनी से मय हर्जे व खर्चे अदालती व गैर
अदालती देनदार व जिम्मेदार व पाबन्द रहेंगे।

5-यह कि इस विनिमय विलेख के द्वारा पक्षगण को अपनी-अपनी
निम्नलिखित सम्पत्ति की अदला-बदली स्वीकार व मान्य है।

6- यह कि अब प्रथम पक्ष को हक व अधिकार है कि वह तमामी
कागजात सरकारी में बइखराज नाम द्वितीयपक्ष के अपना नाम
बहैसियत स्वामी दर्ज करा ले और उससे जिस तरह चाहे मुस्तफीज
हो, और इसी प्रकार द्वितीय पक्ष को हक व अधिकार है कि वह

सत्यपाल

Masir.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 125849

CA 125849



08 DEC 2017

9

तमामी कागजात सरकारी में बड़खराज नाम प्रथम पक्ष के अपना नाम बहैसियत स्वामी दर्ज करा ले और उससे जिस तरह चाहे मुस्तफीज हो। पक्षगण या वारिसान पक्षगण या दीगर किसी भी शख्स को कुछ उज्र व एतराज करने का हक व अधिकार न होगा।

लिहाजा यह विनमय विलेख खूब सोच व समझकर बिना किसी अनुचित दबाब के कतई लिख दिया ताकि सनद हो और वक्त पर काम आवे। इति।

विवरण सम्पत्ति सूची (अ) जिसका आज से द्वितीय पक्ष तन्हा मालिकाना मालिक काबिज व दखील हो या गया है :- जो कि

सत्यमेव जयते

M. B. D.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 125891

CA 125891



10

आराजी काश्त भूमिधरी खाता नं० 00544 खसरा नं० 300 रकबर्द्द 0.162 हैक्टेयर लागानी सालाना 3.65 रुपये स्थित ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद जिसका नजरी नक्शा बरंग हरा रंग से दर्शाया गया है जिसकी चर्तु-सीमायें इस प्रकार हैं :-

पूरब - चकमार्ग

पश्चिम - खेत गाटा संख्या 301 रामकुमार

उत्तर - चकमार्ग

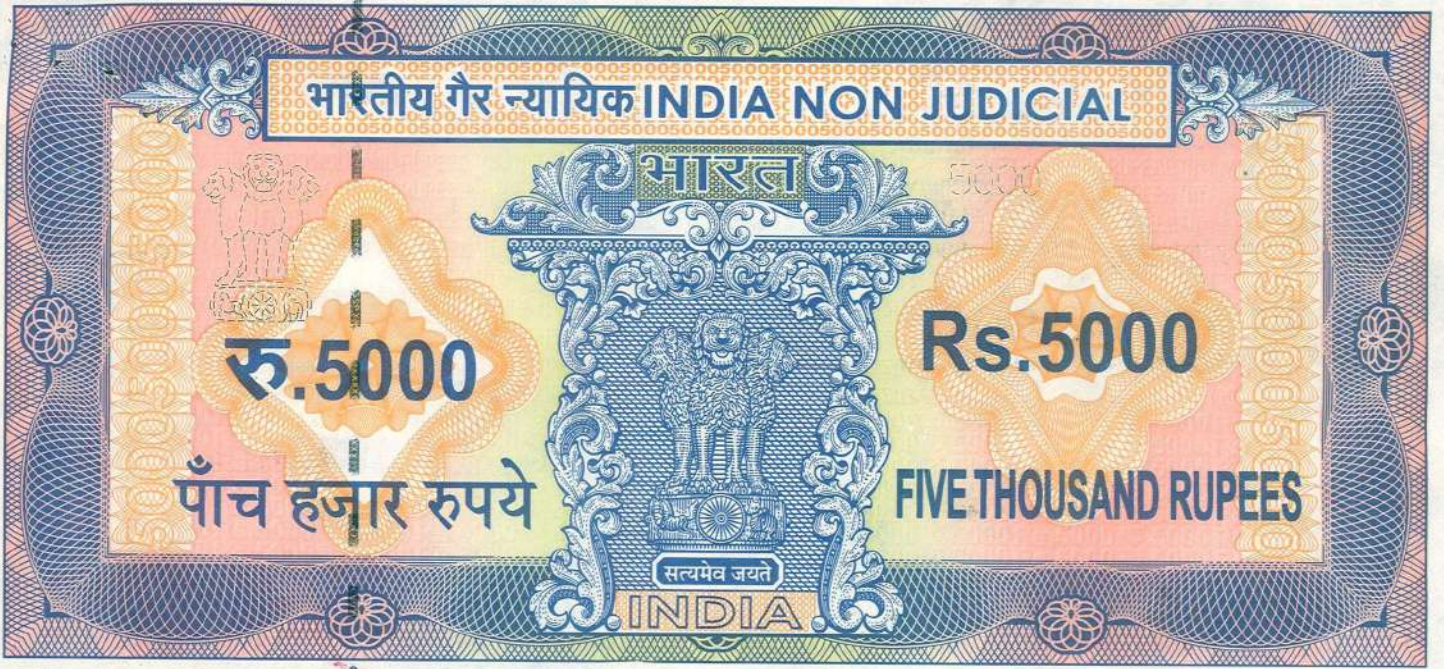
दक्षिण - गाटा संख्या 299 नवीन कुमार जैन

विवरण सम्पत्ति सूची (ब) जिसका आज से प्रथम पक्ष तन्हा मालिकाना मालिक काबिज व दखील हो या गया है :- जो कि

सत्यपाल

M. Saini





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 125892

CA 125892



11

आराजी काश्त भूमिधरी खाता नं० 00233 खसरा नं० 484 का

मिनजुमला रकबई 0.162 हैक्टेयर लागानी सालाना 3.65 रुपये स्थित
ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद जिसका नजरी नक्शा
बरंग लाल रंग से दर्शाया गया है जिसकी चर्तुसीमायें इसप्रकार हैं :-

पूरब - बकिया खेत प्रवीन कुमार जैन गाटा संख्या 484

पश्चिम - चकमार्ग

उत्तर - चक मार्ग

दक्षिण - खेत गाटा संख्या 481 बुद्धा

नोट :- सूची (अ) में वर्णित आराजी जो किसी मुख्यमार्ग या राष्ट्रीय
राजमार्ग या प्रान्तीय राजमार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है और

सत्यमेव जयते

M. K. Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 125893

CA 125893



12

08 DEC 2017

आबादी से दूर है जिसकी 200 मीटर की त्रिज्या में खेती हो रही है जो वक्फ या कस्टोडियन या शत्रु या अर्बन या सीलिंग सम्पत्ति नहीं है जिसके सम्बन्ध में कोई मुआयदाबय पंजीकृत नहीं किया गया है सूची (अ) की सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रचलित मूल्यांकन सूची के पेज 34 कोड 1025 पर दर 1,23,00,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर से अंकित है से आराजी रकबई 0.162 हैक्टेयर की मालियत 19,96,000/-रुपये होती है । सूची (ब) में वर्णित आराजी जो किसी मुख्यमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रान्तीय राजमार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं हैं और आबादी से दूर है जिसकी 200 मीटर की त्रिज्या में खेती हो रही है जो वक्फ या कस्टोडियन या शत्रु या अर्बन या सीलिंग सम्पत्ति नहीं

सत्यपाल

M/sail



है जिसके सम्बन्ध में कोई मुआयदाबय पंजीकृत नहीं किया गया है सूची (अ) की सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रचलित मूल्यांकन सूची के पेज 34 कोड 1025 पर दर 1,23,00,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर से अंकित है से आराजी रकबई 0.162 हैक्टेयर की मालियत 19,96,000/-रुपये होती है चूंकि सूची (अ) की सम्पत्ति की मालियत सूची (ब) की सम्पत्ति की मालियत के बराबर है इस कारण 19,96,000/-रुपये की मालियत पर 7 प्रतिशत की दर से 1,40,000/-रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उपरोक्त द्वितीय पक्ष बहैसियत मुख्तारेआम है और मुख्तारेआम कर्ता अभी तक जीवित है और मुख्तारेआम निरस्त नहीं किया गया है। गवाहान की पहचान पर पक्षगण के फोटो अशोक कुमार अरोरा कातिब ने सत्यापित किये हैं।

ह0प्रथम पक्ष

ह0द्वितीय पक्ष

M. Kain.

सत्यपाल

साक्षी

साक्षी

यह विनिमय विलेख आज दिनांक 05-12-2017ई0 बमुकाम मुरादाबाद बड़करार पक्षगण बकिताबत अशोक कुमार अरोरा कातिब, गोपाल रस्तौगी ने टाईप किया।

अशोक कुमार अरोरा



अशोक कुमार अरोरा
कातिब
दफ्तर रजिस्ट्री मुरादाबाद



अशोक कुमार अरोरा
कातिब
दफ्तर रजिस्ट्री मुरादाबाद

अशोक कुमार अरोरा
कातिब
दफ्तर रजिस्ट्री मुरादाबाद

264 पर क्रमांक 7524 रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पवन कुमार सिंह (20)

उप निबंधक : सहाय द्वितीय

मुम्बई

